

प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं में सभी भूउपयोगों में, प्रस्तावित तथा शमन मानचित्र हेतु

- वर्तमान भवन/भूस्वामी द्वारा स्वप्रमाणित, समस्त रजिस्ट्री की छाया प्रति।
- उपरोक्त रजिस्ट्री में मूल भवन स्वामी की मृत्यु/भवन स्वामी द्वारा विक्रय/दान की दशा में नगर निगम लखनऊ द्वारा जारी नामान्तरण पत्र। (उपरोक्त रजिस्ट्री के साथ।)
- रजिस्ट्री में एक से अधिक भवन/भूखण्ड स्वामी होने तथा उनमें से किसी एक की मृत्यु की दशा में मृतक के वारिसान की ओर से अनापत्ति शपथ-पत्र एवं जीवित भूस्वामी की ओर से एकल भूस्वामी होने का शपथ पत्र
- मृतक भूस्वामी का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- भवनों में, मूल भवनस्वामी द्वारा विक्रय की दशा में नगर निगम या प्राधिकरण द्वारा जारी नामान्तरण पत्र (भवन का स्वीकृत मानचित्र/प्राधिकरण द्वारा जारी बिल्डिंग प्लान की एक प्रति अनिवार्य)
- एक्जिस्टिंग अथवा पूर्व निर्मित भवन होने पर पूर्व स्वीकृत मानचित्र, परमिट/प्राधिकरण द्वारा जारी बिल्डिंग प्लान की प्रति
- वसीयत के आधार पर भूस्वामित्व प्राप्त होने पर वसीयतकर्ता को मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत विलेख की प्रति।
- लेबर सेस हेतु गणना पत्र
- लेबर सेस सम्बन्धी शपथ-पत्र

- नोट- 1 नजूल भूमि में भी रजिस्ट्री उपरोक्तानुसार एवं भवन/भूखण्ड दोनों में नामान्तरण पत्र नजूल अधिकारी द्वारा निर्गत अनिवार्य।
- 2 300 वर्ग मीटर तक के प्राधिकरण द्वारा विकसित क्षेत्र में एकल आवासीय भवनों/भूखण्डों स्वतः स्वीकृत मानचित्र योजना का शपथ पत्र वांछित होगा।

स्वीकृत तलपट मानचित्र के क्षेत्रों में, सभी भूउपयोगों में, प्रस्तावित तथा शमन मानचित्र हेतु

- डेवलपर द्वारा निर्गत एवं पंजीकृत रजिस्ट्री, भवन/भूखण्ड स्वामी द्वारा स्वप्रमाणित।
- उपरोक्त रजिस्ट्री में मूल भवन/भूखण्ड स्वामी द्वारा सम्पत्ति विक्रय की दशा में के साथ द्वितीय, तृतीय आदि विक्रय विलेख की स्वप्रमाणित छाया प्रति।
- उपरोक्त रजिस्ट्री में मूल भूस्वामी/भवन स्वामी की मृत्यु की दशा में वर्तमान भूस्वामी के पक्ष में निबंधित वसीयत/सक्षम न्यायालय/नगर निगम द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र। (जैसा लागू हो)
- लेबर सेस हेतु गणना पत्र
- लेबर सेस सम्बन्धी शपथ-पत्र

पुराने निर्मित आबादी क्षेत्र के मानचित्रों में, सभी भूउपयोगों में, प्रस्तावित तथा शमन मानचित्र हेतु

पंजीकृत भूस्वामित्व की 6 प्रति (विभिन्न विभागों से अनपत्ति प्राप्त किये जाने हेतु 1 प्रति मानचित्र के साथ प्रेषित की जाती है।)

- उपरोक्त भूस्वामित्व में भूखण्ड स्वामी/भवन स्वामी की मृत्यु की दशा में निबंधित वसीयत/सक्षम न्यायालय/नगर निगम कार्यालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (मूल भूस्वामित्व की प्रति के साथ) 6 प्रतियों में।
- लेबर सेस हेतु गणना पत्र
- लेबर सेस सम्बन्धी शपथ-पत्र
- शपथ पत्र 10 बिन्दु वाला।

तलपट मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु भूस्वामित्व

- पंजीकृत रजिस्ट्री की भूस्वामी द्वारा स्वप्रमाणित 6 छाया प्रति।
- उपरोक्त भूस्वामित्व में भूखण्ड स्वामी/भवन स्वामी की मृत्यु की दशा में निबंधित वसीयत/सक्षम न्यायालय/नगर निगम कार्यालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (मूल भूस्वामित्व की प्रति के साथ) 6 प्रतियों में।
- पैतृक सम्पत्ति में इन्तखाब, खसरा खतौनी (यदि लागू हो) अधिकतम 6 माह पूर्व तक की जारी 6 प्रति
- लेबर सेस हेतु गणना पत्र
- लेबर सेस सम्बन्धी शपथ-पत्र
- शपथ पत्र 10 बिन्दु वाला।